न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 87/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री सुधीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री चुन्नी लाल अग्रवाल निवासी सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर हाल निवासी प्लाट नं 11 गणेश कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल निवासी ग्राम सूधरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल निवासी प्लाट नं 11, गणेश कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
3. श्री अवधेश सिंह पुत्र श्री भीखम सिंह निवासी ग्राम कलवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर हाल निवासी ननद भेजाई चौराहा, निवारू रोड, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री दीपक चौहान अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी श्री सुधीन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.02.2010 को पुलिस थाना झोटवाडा से मिली सूचना अनुसार प्लाट नं. 11, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, पानी की टंकी के पास झोटवाडा से दौराने जांच अप्रार्थीगण से 11 घरेलु गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. क्षमता (7 बीपीसी, 2 आईओसी व 2 एचपीसी) 22 वाणिज्यिक सिलेण्डर 19 किग्रा. क्षमता (2 बीपीसी, 6 आईओसी व 14 एचपीसी) 65 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर्स, 12 सिलेण्डर रिलायन्स मय एलपीजी 354.100 किग्रा., 17 रेग्यूलेटर विभिन्न ब्राण्डों के, 20 सिलेण्डर कैप, 3 पीतल की बांसुरी, 23 लोहे की बांसुरी, 1 तराजू काउन्टर बैलेन्स, 7 बांट, 2 इलेक्ट्रिक तोल मशीन, 1 स्प्रिंगबैलेन्स, 24 नोजल छोटे सिलेण्डर के, 2 पेचकस जब्त किये गये। प्रकरण में पुलिस थाना झोअवडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 120/2010 दिनांक 23.02.2010 दर्ज की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक चौहान ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 27.02.2012 को जवाब बन्द किया गया। प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। प्रत्येक तारीख पेशी के दिन न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को आवाज दिलवाई जाती रही। बारम्बार आवाज दिलवाये जाने पर भी लम्बे समय तक पत्रावली में कोई उपस्थित ना होने की स्थिति में पत्रावली पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 23.02.2010 को जब्त विभिन्न ब्राण्ड एवं विभिन्न कम्पनियों के सिलेण्डर खरीद कर उनमें घरेलु गैस बांसुरी की सहायता से स्थानान्तरित कर छोटे नोन आईएसआई एवं वाणिज्यिक सिलेण्डरों में भरकर अधिक कीमत पर अवैध रूप से विक्रय किया जाता था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलु गैस बांसुरी की सहायता से स्थानान्तरित कर छोटे सिलेण्डरों में भरकर अधिक कीमत पर अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था, जो द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध कारोबार कराना पुष्ट होता है। प्रार्थी द्वारा जब्त 11 घरेलु गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. क्षमता (7 बीपीसी, 2 आईओसी व 2 एचपीसी) 22 वाणिज्यिक सिलेण्डर 19 किग्रा. क्षमता (2 बीपीसी, 6 आईओसी व 14 एचपीसी) 65 छोटे नान आईएसआई मार्का सिलेण्डर्स, 12 सिलेण्डर रिलायन्स मय एलपीजी 354.100 किग्रा., 17 रेग्यूलेटर विभिन्न ब्राण्डों के, 20 सिलेण्डर कैप, 3 पीतल की बांसुरी, 23 लोहे की बांसुरी, 1 तराजू काउन्टर बैलेन्स, 7 बांट, 2 इलेक्ट्रिक तोल मशीन, 1 स्प्रिंगबैलेन्स, 24 नोजल छोटे सिलेण्डर के, 2 पेचकस (फर्द अनुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर एवं अन्य को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर